उत्तर प्रदेश सरकार
सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग-1
संख्या 1325/ब्यूरो/125-1975
लखनऊः दिनांकः 23 अक्तूबर, 1975

कार्यालय–ज्ञाप

नियुक्ति (क) विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 6693/दो–ए–1958, दिनांक 26 सितम्बर, 1958 का आंशिक संशोधन करते हुए अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय ज्ञाप के पैरा–3 के प्राविधानों के अनुसार स्वशासित औद्योगिक या वाणिज्यिक उद्यमों अथवा निगमों अथवा सांविधिक संस्थानों के प्रबन्धक बोर्डो के अध्यक्ष अथवा पदेन निदेशक की हैसियत से कार्य कर रहे राजकीय अधिकारी सम्बन्धित सार्वजनिक उद्योगो/निगमों/संस्थानों की बैठकों में भाग लेने के लिए जाने पर, अपने यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते का भुगतान उसी बजट हेड से प्राप्त करते हैं, जिनसे उन्हें अपने वेतन का भुगतान प्राप्त होता है।

2- चूंकि प्रदेश में सार्वजनिक उद्योगों की संख्या दिनोदिन बढ़ती जा रही है और इसके परिणामस्वरूप राजकीय अधिकारियों के उक्त बजट हेड पर बोझ भी उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, शासन ने इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार करके यह निर्णय लिया है कि सार्वजनिक उद्योगों/उपक्रमों तथा अन्य स्वशासित संस्थानों के प्रबन्धक बोर्डो के अध्यक्ष, निदेशक अथवा पदेन निदेशक पद पर नियुक्त राजकीय अधिकारी सम्बन्धित प्रबन्धक बोर्डो की बैठकों में भाग लेने के लिए जाने पर, तात्कालिक प्रभाव से, उपयुक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमन्य अपने यात्रा तथा दैनिक भत्तों का भुगतान सम्बन्धित सार्वजनिक उद्योगों/निगमों/स्वशासित संस्थानों से सीधे प्राप्त कर लिया करें।

3- इसी प्रकार समस्त अन्य गैर सरकारी संस्थाओं में भी सरकारी कर्मचारियों के सरकार द्वारा नामित किये जाने पर ऐसी संस्थाओं द्वारा आयोजित बैठकों में भाग लेने के सम्बन्ध में किये गये यात्रा के लिए अनुमन्य यात्रा भत्ता, ऐसे कर्मचारी द्वारा उन्हीं संस्थानों से सीधे प्राप्त किया जायेगा।

4- सार्वजनिक उद्योगों/निगमों तथा अन्य स्वायत्तशासी एवं गैर सरकारी संस्थानों की बैठकों के सम्बन्ध में उक्त सरकारी अधिकारियों द्वारा यात्रा किये जाने पर, वे अपना यात्रा भत्ता बिल उपयुक्त नियमानुसार ही तैयार करेंगे और जहां आवश्यकता हो, वे उसे नियंत्रक अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर तब उसे सम्बन्धित उद्योग में प्रस्तुत कर, अनुमन्य यात्रा तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करेंगे।

5- यदि किसी सरकारी अधिकारी को उक्त प्रयोजन के लिए अग्रिम यात्रा भत्ता प्राप्त करना हो तो उसे वे वर्तमान नियमों के अनुसार ही प्राप्त करेंगे और सम्बन्धित उद्योग से यात्रा भत्ता प्राप्त होने पर, वे इस अग्रिम को शासन को वापस (रिफण्ड) कर देंगे।

6- यह आदेश तत्काल लागू होंगे।

7- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

रमेश चन्द्र पन्त,
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या 1325 (1)/ब्यूरो/125-75- तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- उत्तर प्रदेश शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव।
2- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
3- शासन के समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।
4- प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उद्योगों के प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र पन्त,
आयुक्त एवं सचिव।